संख्या: 40/2026/304पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/12/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि (राज्यांश) योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्रांक-705/पू०वि०नि०/राज्यांश/2025-26 दिनाक 07 नवम्बर, 2025 पत्रांक- 833/पू०वि०नि०/राज्यांश/ 2025-26 दिनांक 12 दिसम्बर, 2025, पत्रांक-899/पू०वि०नि०/राज्यांश/ 2025-26 दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 एवं पत्रांक-1067/पू०वि०नि०/राज्यांश/ 2025-26 दिनांक 03 फरवरी, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत जनपद-जौनपुर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. 1538.49 लाख (रुपये पन्द्रह करोड अड़तिस लाख उनचास हजार मात्र जी0एस0टी018 % लेबर सेस 01 % एवं कन्टीजेन्सी 01 % सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 774.00 लाख (रुपये सात करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	वि०ख० बदलापुर के रामनगर प्रधान तिराहा से निषाद बस्ती तक पिच रोड निर्माण कार्य।	962	35.01	18.00
2	वि०ख० महराजगंज में बंधवा लोहिन्दा तेजीबाजार मार्ग से भागीपुर विझवट ब्राम्हण बस्ती से होते हुए डाक बंगला तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	1062	71.68	36.00
3	वि०ख० महराजगंज के ग्रामसभा हिलाली में कन्ची पुलिया से हिलाली बार्डर तक नियन पिच रोड निर्माण कार्य।	1200	55.81	28.00
4	वि०ख० महराजगंज के ग्रामसभा उमरी खुर्द में निषाद बस्ती होते हुए नाला तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	700	43.01	22.00
5	वि०ख० सुईथाकला के ग्राम दिपाईपुर में डा० अचरज गौतम के घर से बिन्द बस्ती होते हुए जियालाल बिन्द के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	869	52.27	26.00
6	वि०ख० सुईथाकला के ग्राम कोहडा में लिंक मार्ग से दिपाईपुर लिंक रोड तक पिच रोड़ का नव निर्माण कार्य।	950	46.02	23.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

7	वि०ख० सुईथाकला के ग्राम बुद्धूपुर में विपिन बिन्द के घर से धर्मराज निषाद के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	850	51.18	26.00
8	वि०ख० सुईथाकला के ग्राम भेला पट्टी समोधपुर सम्पर्क मार्ग से मरी माता मंदिर होते हुए धर्मेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	810	49.38	25.00
9	विकास खण्ड सिकरारा ग्राम डमरूआँ भीलमपुर आनापुर सम्पर्क मार्ग मचकाही रामचन्दर बिन्द के क्वाटर के बगल से साहब लाल पाल व भारत यादव के घर तक नवनिर्माण कार्य।	570	20.70	10.00
10	विकास खण्ड सिकरारा ग्राम सैदनपुर परिवारिक ढाबा से सुनील यादव के घर तक नवनिर्माण कार्य।	850	29.41	15.00
11	विकास खण्ड बक्शा ग्राम सभा गैरीखुर्द पक्की सड़क से अनिल सरोज बस्ती तक लेपन कार्य।	550	19.27	10.00
12	ग्राम किरतापुर ऊसरहिया अण्डर पास से बालेमऊ कुछमछ ग्राम तक पिच रोड का निर्माण कार्य वि०ख० धर्मापुर।	1150	37.55	19.00
13	जौनपुर केराकत मुख्य रोड़ से ग्राम गजना महेंद्र के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य विकास खण्ड धर्मापुर।	250	11.66	6.00
14	जौनपुर आजमगढ़ रोड ग्राम बिथार राजभर बस्ती होते हुए पिच रोड तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य विकास खण्ड धर्मापुर।	670	33.48	17.00
15	ग्राम बिहरोजपुर मौर्या चौराहे से निषाद बस्ती तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य विकास खण्ड धर्मापुर।	400	19.57	10.00
16	केराकत जौनपुर मार्ग ग्राम किरतापुर ऊसरहिया से ग्राम तरसण्ड होते हुये कबीरुद्दीनपुर तक पिच रोड निर्माण कार्य वि०ख० धर्मापुर।	630	19.38	10.00
17	जौनपुर आजमगढ़ रोड ग्राम मुस्तफाबाद, केशवपुर शिल्पकार बस्ती से केराकत मार्ग तक लेपन कार्य वि०ख० धर्मापुर।	600	14.81	7.00
18	ग्राम पाण्डेयपुर नहर की पुलिया से ग्राम नोकरा पुलिया तक पिच रोड निर्माण कार्य वि०ख० रामनगर।	1020	33.49	17.00
19	जफराबाद बेलाव मुख्य मार्ग पिच रोड से सैदपुर गाँव तक सी०सी० रोड कार्य वि०ख० सिरकोनी।	450	25.55	13.00
20	वि0 ख0 केराकत ग्रामसभा रतनूपुर बाजार में सूबेदार मेडिकल से ऊमरवार सहकारी समिति होते हुए पट्यील में सूरज गौड़ के घर तक नवनिर्माण कार्य।	750	30.09	15.00
21	वि० खं० मुफ्तीगंज ग्रामसभा मेहौड़ा देसमी यादव के घर से सकारा संपर्क मार्ग तक नवनिर्माण कार्य।	1025	43.82	22.00
22	विकासखण्ड बरसठी के ग्रामसभा असवां में कुसहा शिव मंदिर से अमरनाथ यादव के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	250	11.42	6.00
23	विकासखण्ड मड़ियाहू के ग्रामसभा मीठेपार में चौरसिया बस्ती से लेकर हनुहर पाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	350	19.14	10.00
24	विकासखण्ड बरसठी के ग्राम सभा परियत में त्रिलोकीनाथ पटेल के घर से शिव मंदिर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	250	11.42	6.00
25	विकासखण्ड मड़ियाहू के ग्रामसभा सुरताशापुर में रामदवर यादव के खेत से राजकुमार यादव के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	300	18.72	9.00
26	विकासखण्ड बरसठी के ग्रामसभा कारों में पन्नालाल के दुकान से हंसराज तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	250	11.42	6.00
27	वि0ख0 रामपुर ग्रामसभा राघोपट्टी शारदा सहायक नहर से अनिल के चक तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	141	9.88	5.00
28	वि0ख0-मड़ियाहूँ ग्रामसभा सरायकालीदास नहर से विनोद चौहान के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	191	9.88	5.00
29	वि0ख0-मड़ियाहूँ ग्रामसभा कैलावर पिच रोड से डॉ मनीष के घर तक	165	9.26	5.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।			
30	वि0ख0 रामपुर ग्रामसभा गोथु रामलखन पटेल के घर से रामचन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	199	9.86	5.00
31	वि0ख0 रामपुर ग्रामसभा बल्लीपुर नोनारी मंडी से हीरालाल पटेल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	192	9.87	5.00
32	वि0ख0-रामनगर ग्रामसभा छांगापुर नं-2 बनपुरवा नहर पुलिया से चोथू के दुकान तक एंड सरजू मास्टर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	400	23.88	12.00
33	वि0ख0 रामपुर ग्रामसभा औरैला कृष्ण पटेल के मकान से पिच रोड तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	185	9.87	5.00
34	वि0ख0-मड़ियाहूँ ग्रामसभा बकिया पिच रोड से अजय दुबे के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	193	9.87	5.00
35	वि0ख0-मड़ियाहूँ ग्रामसभा राजापुर नं-1 भैयालाल पटेल के घर से श्यामराज के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	189	9.88	5.00
36	वि0ख0 रामपुर ग्रामसभा मलेथू मेन रोड से बेचन प्रजापति के सामने से जीवधन व रामधार गिरी के घर से होते हुये जलई कहार के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	700	36.41	18.00
37	वि0ख0 रामपुर ग्रामसभा पचूरखी कमला प्रजापति के घर के सामने से श्री कान्त पाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	176	9.88	5.00
38	वि0ख0-मड़ियाहूँ ग्रामसभा सुदनीपुर मोतीलाल चौबे के घर से कृष्ण चन्द्र चौबे के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	176	9.88	5.00
39	वि0ख0 रामपुर ग्रामसभा भिठरा राजाराम हरिजन के घर सोनहा पोखरा तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	159	9.87	5.00
40	वि0ख0-मड़ियाहूँ ग्रामसभा सुंगुलपुर कालूपुर पिच रोड से मुन्नीलाल पटेल के घर से होते परसू मास्टर के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	181	9.88	5.00
41	वि0ख0-रामनगर ग्रामसभा सलारपुर संजीव प्रजापति के घर से अनिल पाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	165	9.88	5.00
42	विकासखण्ड-जलालपुर ग्राम लोहगाजार में पप्पू सिंह के गेट से भानू प्रताप सिंह के मशीन तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	400	23.58	12.00
43	विकासखण्ड-करंजाकला ग्राम शिकारपुर में रामपुर मुख्य मार्ग से ग्राम सभा नेवादा ईश्वरी सिंह में राजनाथ पाल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	600	32.86	16.00
44	विकासखण्ड-मछलीशहर ग्राम छदान में विवेक तिवारी के घर से अनुज तिवारी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	200	10.92	5.00
45	शहरी क्षेत्र में करौती कला कलीचाबाद में राजबहादुर के मकान से राकेश के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	90	9.08	5.00
46	शहरी क्षेत्र में करौती कला कलीचाबाद में भरत के मकान से धीरेन्द्र के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण।	55	5.59	3.00
47	विकासखण्ड करंजाकला ग्राम नदियापारा में पिच रोड से बालक के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	350	21.09	11.00
48	विकासखण्ड बरसठी नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर (जयप्रकाश उपाध्याय के मकान) के पास से झिन्गुरिया बरसठी पक्की सड़क मार्ग तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	450	27.31	14.00
49	विकासखण्ड करंजाकला ग्राम आरा में आरा राजभर बस्ती से पाल के घर से प्रेम राजभर के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	495	27.58	14.00
50	विकासखण्ड बदलापुर में बटाऊबीर लेदुका मार्ग पर ग्राम बनगाँव में राइस मिल के पास से दीपू आदि के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	800	44.79	22.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

51	विकास खण्ड-मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम फत्तूपुर निफ्सी में बड़ी नहर से प्राथमिक विद्यालय फत्तूपुर निफ्सी तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	300	19.93	10.00
52	विकास खण्ड-सुजानगंज के ग्राम सकरा लोदकपुर में लल्लू के पाही से राजा गौतम के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	280	18.44	9.00
53	विकास खण्ड-सुजानगंज के ग्राम सकरा लोदकपुर में राजा गौतम के घर से जयंती लाल गौतम के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	190	12.55	6.00
54	विकास खण्ड-सुजानगंज के ग्राम सभा रामपुर पतरहिया में इंटरलाकिंग से पटेल बस्ती तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	360	22.99	11.00
55	भकुरा मोड़-जंगीपुर खुर्द शारदा सहायक खण्ड-36 गड़ैला लोहता भकुरा होते हुए सिद्दीकपुर जमुहाई मार्ग तक।	4900	258.47	129.00
	योग:		**1538.49**	**774.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
7. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में उपर्युक्त तालिका के **कार्यों पर होने वाले** व्यय रू. 7,74,00,000/- (रूपये सात करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-**4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण** कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 40 /2026/304पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/12/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जौनपुर।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जौनपुर।
15- गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।